- न्यनतम जनसंख्या सीमा;
- जनसंख्या घनत्व;
- गैर-कषि क्षेत्रों में नियोजित अनपात;
- पक्की सडकों जैसे बनियादी ढांचे की उपस्थिति.
- बिजली. पाडप से पानी या सीवर;
- शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं की उपस्थिति।

शहर:

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार है;

1. सांविधिक नगर-:

- नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि वाले सभी स्थान।
- इन कस्बों को संबंधित राज्य/यूटी सरकार द्वारा कानून के तहत अधिसूचित किया जाता है और इनमें नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं, नगरपालिका प्रतिबद्ध टीज़ आदि जैसे स्थानीय निकायहैं, भले ही उनकी जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए जैसा कि 31 दिसंबर, 2009 को गिना गया था। उदाहरण: वडोदरा (एम कॉर्प), शिमला (एम कॉर्प) आदि इन कस्बों को संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा कानून के तहत अधिसूचित किया गया है और इनमें स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगरपालिका समितियां, आदि हैं, उदाहरण: वडोदरा, शिमला आदि।

2. जनगणना शहर: अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को संतुष्ट करते हैं:

I. 5,000 की न्यूनतम आबादी;
II. गैर-कृषि गतिविधियों में लगे पुरुष मुख्य कामकाजी आबादी का कम से कम 75 प्रतिशत; और
III. प्रति वर्ग किमी कम से कम 400 व्यक्तियों की जनसंख्या का घनत्व।

शहरी संकुलन (यूए):

- यह एक निरंतर शहरी फैलाव है जो एक कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र (OGs), या दो या दो से अधिक शारीरिक रूप से सन्निहित शहरों को मिलाकर या ऐसे कस्बों के फैलाव के बिना होता है।
- शहरी समूह में कम से कम एक सांविधिक शहर होना चाहिए और इसकी कुल जनसंख्या (अर्थात सभी घटकों को एक साथ रखा जाना चाहिए) 2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना में ऐसे 475 कस्बे थे।

शहरी संकुलन / वर्ग/ श्रेणी के अनुसार शहर: भारत की जनगणना 2011

कक्षा	जनसंख्या